

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

शुक्रेश बनाम श्रीमती लाली वगेरहा

वाद प्रकरण संख्या 01 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------------------------	----------------------

05/11/21 यह वाद पत्र वादी की ओर से एडवोकेट महेश शर्मा नयाबास द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 25.02.2021 को पेश हो। CP

Reg Ad
15-23
5/11/21

25/2/21
पत्रावली पेश हुई। पक्षीय वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार करते वादी/जजिस्ट्रेट दिनांक 12/5/21 को पेश जहाँ CP

17/5/21
पत्रावली पेश हुई। पक्षीय वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार करते वादी/जजिस्ट्रेट दिनांक 23/8/21 को पेश जहाँ CP

24/8/21 उक्त अर्थात् लोकरे आज पत्रावली पेश हुई। पक्षीय वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार करते वादी/जजिस्ट्रेट दिनांक 21/2/21 को पेश जहाँ CP

8/12/21 पत्रावली आज प्रशासन मांवा के संग अभियान 2021 के मांवा/वादी में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/3/22 को पेश हो। CP

CP
शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

24/3/21
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता राध द्वारा फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/10/21 को पेश हुई। CP

28/6/22

जमावती पत्र हुई, अधिकता सब द्वारा

उपखण्ड/कार्य का बहिष्कार करने पर

जमावती पूर्वानुसार दिनांक 28/6/22

7/7/22 पञ्जाबली वासी के द्वारा जा पत्र
 023 R1 लपकित धारा 151 के अनुसार
 पेश होने पर आज पञ्जाबली
 पेश हुई। वासी वाद के
 चलाना नहीं चाहता है कि
 प्रमाण के बिना वाद के
 खर्च किए जाने से निवेदन किया
 वासी स्वयं उपरोक्त दस्तावेज किया
 प्रार्थना पत्र पर वासी को मुना
 गया। जा पत्र 023 R1 पर
 लीकचर का ^{वाद का} विज्ञापन करवा
 लीकचर उदाण की जाती है
 तथा वाद के खर्च किया
 जाता है पञ्जाबली को जल
 मुक्त होकर जाकर (क) का
 काद शर्तें जारी रखते हैं।

गोविंद जीवा

Rt
मुकेश

ग
गवाह

वागचन्द्र शर्मा

7/7/22

उपखण्ड अधिकारी

जमवाराभगद